कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक :- 1702 /14-1 एटा : दिनांक : 20-2- , 2016.

सेवामें,

प्रबन्धक रिटेल सेल्स
इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0
आगरा।

विषय :- जनपद एटा में टूण्डला-एटा मार्ग (एस.एच.-31) कि0मी0 34.792 की बांयी पटरी पर ग्राम शहनऊआ के खसरा संख्या 718 में विकसित किये जा रहे इण्डियन आयल कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.092976 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संन्दर्भः- शासन का पत्रांक संख्या पी-10/14-2-2015-800(11)/2015 दिनांक 18.02.2016

महोदय,

संन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है। इन शर्तो की अनुपालन आख्या प्रभाग स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की जानी है।

अतः आप निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों की अनुपालन आख्या से सम्बन्धित अभिलेखों को 4 प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. बिन्दु संख्या 1 से 6 तक
2. बिन्दु संख्या 7 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.17634 है0 की एन.पी.वी. रू0 74,660/- (रू0 चौहत्तर हजार छः सौ साठ मात्र) की धनराशि Compenstory Afforestation Fund CAF saving A/c No. 037100101025230 Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi के नाम केवल e-payment portal के माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायें।
3. बिन्दु संख्या 8 से 26 व 28
4. बिन्दु संख्या 27 के अनुपालन में वृक्षारोपण हेतु 100 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण पौधों की सुरक्षा सहित रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि Compenstory Afforestation Fund CAF saving A/c No. 037100101025230 Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi के नाम केवल e-payment portal के माध्यम से जमा कराकर प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायें।

भवदीय

(सेम्मारन एम0)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक :- /14-1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक अलीगढ़ वृत्त अलीगढ़।

(सेम्मारन एम0)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 प्रभाग
एटा